उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग

लखनऊ

सं0: **145** /मु0अ0(वा0एवंऊ0ले0)/सीयूआर–II/आर–3 दिनांकः फरवरी **01** ,2018

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं पर लम्बित विद्युत भुगतान के बकायों की प्रभावी वसूली एवं अवास्तविक बकाया (Fictitious Arrear) तथा अप्राप्य बकाया (Irrecoverable Dues) के संशोधन एवं अपलेखन किए जाने की कार्यवाही एवं क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा पूर्व में निर्गत पूर्व आदेशों को अतिक्रमित करते हुए निम्नलिखित आदेश निर्गत किए जाते हैं। इन आदेशों का अनुपालन वितरण क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता, वितरण मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता तथा वितरण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता एवं उनके अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगाः–

1(क) सभी टैरिफ श्रेणी के ऐसे बकायेदार उपभोक्ताओं जिनका संयोजन विच्छेदित है अथवा विच्छेदित होना है उनका अनुबन्ध निरस्त करके उनके मीटर एवं केबिल (सर्विस लाइन) संयोजन स्थल से निकलवाकर विच्छेदन की तिथि तक तथा जिन मामलों में अनुबन्ध की अवधि पूर्ण नहीं हुई है उनमें अस्थाई विच्छेदन की तिथि, छः माह की अवधि अथवा अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, स्थाई विच्छेदन मानते हुए बकाया की पूर्ण वास्तविक धनराशि, विच्छेदन शुल्क (टैरिफ में प्रावधान के अनुसार) के साथ बिल बनाने के उपरान्त उपभोक्ता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति एवं बिल की तिथि तक उस पर अर्जित ब्याज की धनराशि का समयोजन करते हुए अन्तिम बिल निर्गत किया जाएगा। शेष बकाया (यदि हो) समाप्त कर दिया जाएगा।

1(ख) धारा–3 एवं धारा–5 की नोटिस इस सम्बन्ध में निर्गत पूर्व आदेशों के अनुरूप निर्गत की जाए। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि धारा–3 एवं धारा–5 के नोटिस में उपभोक्ता के नाम एवं पूर्ण पता अवश्य अंकित हो। ऐसे प्रकरणों में जिनमे संयोजन का स्थाई विच्छेदन मानकर देयों को अन्तिम रूप प्रदान किया जा चुका है। उनमें धारा–3 एवं धारा–5 के नोटिस में दर्शाई गई राशि में उपभोक्ता द्वारा जमा प्रतिभूति तथा उस पर देय ब्याज की धनराशि का समायोजन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

2. ऐसे बकायेदार उपभोक्ताओं (सभी श्रेणी) जिनका संयोजन स्थल पर उपलब्ध नहीं है अथवा उनके संयोजन के विच्छेदन होने की तिथि की सूचना उपलब्ध नहीं है उन मामलें में विद्युत संयोजन विच्छेदित होने की तिथि निर्धारित करने हेतु नामित समितियों के सदस्यों द्वारा संयोजन स्थल का वास्तविक निरीक्षण करके सम्भावित विच्छेदन तिथि निर्धारित की जाएगी। यह समितियाँ यथा सम्भव आस–पास के उपभोक्ताओं/पड़ोसियों से पूछताछ भी करेगी एवं उसका उल्लेख अपनी स्थायी विच्छेदन रिपोर्ट (प्रारूप 3/4) में करेगी। उपभोक्ताओं/पड़ोसियों के विवरण की अभिलेखीय साक्ष्य भी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

(आधार कार्ड/पैन कार्ड/कुटुम्ब रजिस्टर/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति तथा प्रमाण स्वरूप घरेलू/वाणिज्यिक श्रेणी के संयोजनों हेतु कम से कम 5 तथा निजी नलकूप एवं लघु व मध्यम उद्योग श्रेणी के सयोजनों हेतु कम से कम 3 पड़ोसी व सम्मानित व्यक्तियों के लिखित बयान अनिवार्य होंगे)

क्र0सं0	उपभोक्ता श्रेणी	नामित समिति
1	टैरिफ दर अनुसूची एल0एम0वी0–1 एवं एल0एम0वी0–2 (10 kw तक) द्वारा आवरित घरेलू/वाणिज्यिक बत्ती, पंखा के उपभोक्ता।	1. सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी 2. सम्बन्धित अवर अभियंता समिति की आख्या पर उपखण्ड अधिकारी इस श्रेणी के उपभोक्ता के संयोजन का अन्तिम निस्तारण हेतु अधिकृत होंगे।
2	टैरिफ दर अनुसूची उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ता को छोड़कर अन्य सभी टैरिफ श्रेणियों से आवरित उपभोक्ता।	1. सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी 2. सम्बन्धित मण्डल के अधीक्षण अभियंता द्वारा नामित एक अन्य सहायक अभियंता/अधिशासी अभि0 3. सम्बन्धित अवर अभियंता समिति सम्बन्धित उपभोक्ता के परिसर पर जाकर उसका विद्युत संयोजन व विच्छेदन की तिथि निर्धारित कर अपनी संस्तुति वितरण खण्ड के अधिशासी अभियंता को प्रस्तुत करेंगें स्थाई विच्छेदन हेतु समिति द्वारा निर्धारित तिथि अन्तिम मानी जाएगी। समिति की आख्या पर अधिशासी अभियंता (वितरण) इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के संयोजन के अन्तिम निस्तारण हेतु अधिकृत होगा।

स्थाई विच्छेदन हेतु उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहित 2005 के पैरा 4.38 का पालन किया जायेगा।

उपभोक्ताओं के खाता समाप्ति का अधिकार अधिशासी अभियंता (वितरण) का होगा तथा भुगतान उपरान्त खाता बन्दी एवं Not Billed की कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त प्रत्येक मामले में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं अधिशासी अभि0(वितरण) के कार्यालय द्वारा अवास्तविक बकाये की धनराशि के ऑकड़े प्रारूप –1 में प्रत्येक माह सम्बन्धित विद्युत वितरण मण्डल के अधीक्षण अभियंता (वितरण) मंडल को प्रस्तुत करेंगे।

अधिशासी अभि0 समस्त स्थाई विच्छेदनों की खाता समाप्ति सम्बन्धी अभिलेखों का रिकार्ड रखेगें। उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभि0 द्वारा खण्डीय लेखाकार के माध्यम से स्थाई विच्छेदन प्रकरण खण्ड में प्रस्तुत होने के 15 दिन के अन्दर निस्तारित करना सुनिश्चित किया जायेगा एवं अगले माह के बिलिंग चक्र तक उपभोक्ता का काल्पनिक बकाया/वास्तविक बकाया (भुगतान होने पर) समायोजन की कार्यवाही पूरी की जायेगी। अवास्तविक एवं अप्राप्य बकायों के संशोधन/अपलेखन की उपखण्ड/खण्ड स्तर पर

की जा रही कार्यवाही के अनुश्रवण का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित वितरण मण्डल में तैनात अधीक्षण अभियन्ता का होगा। अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा किये गये कार्य की मासिक समीक्षा का उत्तरदायित्व मुख्य अभियन्ता का होगा, जिसकी मासिक प्रगति उनके द्वारा डिस्काम के निदेशक (वाणिज्य) को भेजी जायेगी। अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता द्वारा लगातार दो माह तक इस कार्य में रूचि/वांछित प्रगति प्रदर्शित न करने पर सम्बन्धित डिस्काम के निदेशक (वाणिज्य) गोपनीय अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से इसकी सूचना अपने डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक को देंगे एवं उसकी प्रति मुख्यालय के निदेशक (वाणिज्य) को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. स्थाई विच्छेदन की प्रक्रिया को अन्तिम रूप देते समय यदि उपभोक्ताओं के संयोजनों पर सामग्री नहीं पाई जाती है तो ऐसे विभिन्न मामलों में निम्नवत् कार्यवाही की जाएगी।

क) जिन उपभोक्ताओं के संयोजनों पर मीटर लगाकर दिए गए थे किन्तु संयोजन पर मीटर उपलब्ध नहीं है, उन मामलों में

(i) मीटर को वर्तमान मूल्य उपभोक्ता से प्राप्त किया जाएगा।

(ii) रिकार्ड के अन्तिम मीटर रीडिंग के बाद अस्थाई विच्छेदन तक की अवधि का उपभोग विगत तीन माह के औसत के आधार पर किया जाएगा।

ख) जिन उपभोक्ताओं के संयोजन केवल केबिल के द्वारा अवमुक्त किए गए थे उनसे सामग्री का कोई मूल्य चार्ज नहीं किया जाएगा।

ग) जिन उपभोक्ताओं के संयोजन लाइन बनाकर दिए गए थे और उन संयोजनों पर सामग्री उपलब्ध नहीं है तो ऐसे मामलों में सामग्री के/उसके मूल्य के सम्बन्ध में निर्णय वितरण खण्ड के अधि0अभि0 द्वारा अपने विवेक से लिया जाएगा जो अन्तिम होगा।

4. उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2005 में निहित प्रावधान (प्रस्तर 6.5 द) (Disputed bills & arrears) के अनुसार किसी भी विच्छेदित संयोजन की बिलिंग संयोजन के अस्थाई विच्छेदन के 6 माह बाद तक की जानी है। अस्थाई विच्छेदन की तिथि के 6 माह के पश्चात् की गई बिलिंग गलत बिलिंग की श्रेणी में मानी जाएगी। जिसे ठीक करने का पूर्ण अधिकार सम्बन्धित टैरिफ दर अनुसूची हेतु अधिकृत उपखण्ड अधिकारी/ अधिशासी अभियंता (वितरण) का होगा।

5. अप्राप्य बकायों (Irrecoverable Arrear) को बट्टे खातें में डाले जाने की कृत कार्यवाही।
समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के अप्राप्य बकाए को बट्टे खाते में डालने के सम्बन्ध में समिति का गठन एवं प्रक्रिया निम्नवत् होगा–

क) 5 लाख से अधिक के बकाए पर:–

निदेशक (वाणिज्य), सम्बन्धित वितरण निगम	–	अध्यक्ष
मुख्य अभियंता (वितरण क्षेत्र)	–	संयोजक
उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)	–	सदस्य

ख) 1 से 5 लाख तक के बकाए पर:–

मुख्य अभियंता (वितरण क्षेत्र)	–	अध्यक्ष
अधीक्षण अभियंता (वितरण क्षेत्र)	–	संयोजक
उपमुख्य लेखाधिकारी (वितरण क्षेत्र)	–	सदस्य

ग) 50 हजार से 1 लाख तक के बकाए पर:–

अधीक्षण अभियंता (वितरण मंडल)	–	अध्यक्ष
अधिशासी अभियंता (वितरण)	–	संयोजक
स0 लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वितरण मंडल)	–	सदस्य

घ) 50 हजार तक के बकाए पर:–

अधिशासी अभियंता (वितरण खण्ड)	–	अध्यक्ष
अधि0अभि0 (रा0)/सहा0अभि0(राजस्व)	–	संयोजक
लेखाकार (राजस्व)	–	सदस्य

- पी0डी0 निस्तारण के बाद धारा–3/5 के नोटिस अवश्य निर्गत किये जायेंगे। धारा–5 पर जिला प्रशासन द्वारा अंकित टिप्पणी को संज्ञान में लेकर कार्यवाही की जायेगी। टिप्पणी के कुछ बिन्दु उदाहरणार्थ निम्नवत् उद्धत है :–

➢ उपभोक्ताओं व वारिसान जीवित नहीं है एवं उनकी किसी प्रकार की कोई आस्तियां नहीं है।
➢ उपभोक्ता/वारिसान जीवित तो है परन्तु उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि पैसा वसूल हो सके एवं उनके पास किसी प्रकार की कोई आस्तियां नहीं है।
➢ जिन संयोजनों का नाम व पता अपूर्ण है अथवा खोजे नहीं जा पा रहे है, खण्ड द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं के संयोजन की पत्रावली अथवा मीटर रीडिंग ऐजेन्सी की मदद् से उपभोक्ता को खोजने के सम्पूर्ण प्रयास किया जायें। तदोपरान्त यदि जिला प्रशासन द्वारा उनके बकाये को अप्राप्य घोषित किया जाता है, तभी उन मामलों पर सक्षम समिति द्वारा विचार किया जाये।
➢ साक्ष्य के आधार पर अप्राप्य बकाया को सक्षम समितियों द्वारा समाप्त करने/बट्टे खाते में डालने की कार्यवाही की जायेगी।

6. प्रस्तर सं0 1 व 2 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार अवास्तविक बकाये (Fictitious Arrear) का विवरण संलग्न प्रारूप 1 में तथा प्रस्तर सं0 5 के अनुसार अप्राप्य बकाये (Irrecoverable Arrear) का विवरण संलग्न प्रारूप 2 में भरकर गठित समिति को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

7. सरकारी विभागों के अवास्तविक एवं अप्राप्य बकाये के सम्बन्ध में भी उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही की जाएगी। सरकारी विभागों का धारा 3 के नोटिस के स्थान पर रजिस्टर्ड नोटिस भेजा जाएगा

एवं उसकी एक प्रति सम्बन्धित सहायक अभियंता (राजस्व) द्वारा कार्यालय प्रमुख को व्यक्तिगत् रूप से प्राप्त कराते हुए एवं इसकी एक प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी को भी दी जाएगी। लगभग 6 से 8 सप्ताह के अन्तराल के बाद उन्हें धारा 3 की नोटिस भेजी जाएगी। जिसे सम्बन्धित जिलाधिकारी को भी पुनः अवगत कराया जाएगा। इन मामलों में धारा 5 की नोटिस नहीं भेजी जाएगी।

8. उपभोक्ताओं से बकाया राशि जो कि सक्षम अधिकारी/समिति द्वारा अप्राप्य घोषित कर दी जाए। उस राशि को पूर्व प्रचलित लेखाशीर्ष 79.410 (अपलिखित अशोध्य ऋण उपभोक्ताओं से बकाया) को डेबिट तथा लेखा समूह 23 के सम्बन्धित लेखाशीर्षों को क्रेडिट किया जाएगा।

9. अप्राप्य बकाये को समाप्त करने अथवा बट्टे खाते में डालने में समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को प्रत्येक छमाही सम्बन्धित डिस्काम के निदेशक मण्डल से कार्योत्तर अनुमोदन कराकर उपरोक्त की प्रविष्टि बैलेन्ससीट में सुनिश्ति किया जायेगा।

10. जिस व्यक्ति/परिसर के अप्राप्य बकाये को बट्टे खाते में डाला गया हो उस परिसर अथवा उस व्यक्ति को भविष्य में बिना पूर्ण भुगतान प्राप्त हुये किसी प्रकार का कोई विद्युत संयोजन स्वीकृत नही किया जायेगा।

11. उपरोक्त बिल संशोधन, अन्तिम बिल सृजन एवं वसूली एवं अप्राप्य बकाये को समाप्त करने अथवा बट्टे खाते में डालने के अभिलेख एवं रिकार्ड कारपोरेशन के निर्धारित प्रारूप में अनिवार्य रूप से रखे जायें, जिसका मासिक अनुश्रवण अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) एवं त्रैमासिक अनुश्रवण मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से
निदेशक मण्डल
उ0प्र0पा0का0लि0

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. समस्त प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम एवं केस्को।
3. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त निदेशक (वाणिज्य), डिस्काम एवं केस्को।
5. मुख्य अभियन्ता (वा0एवंऊ0ले0) शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), डिस्काम एवं केस्को।
7. अधीक्षण अभियंता (आई0टी0/कम्प्यूटराईजेशन इकाई), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. स्टाफ ऑफिसर (सं0) अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(अपर्णा 'यू')
प्रबन्ध निदेशक

प्रारूप–1

विद्युत वितरण खण्ड .....

विद्युत वितरण मण्डल.....

विद्युत वितरण क्षेत्र.....

अवास्तविक बकाया (Fictitious Arrear) का विवरण

क्र0सं0	उपभोक्ता का नाम तथा पता	माह के बिल रजिस्टर/लेजर के अनुसार बकाया धनराशि (रू0)		उपखण्ड अधिकारी/सहायक अभियन्ताओं की समिति द्वारा निर्धारित विच्छेदन तिथि (संस्तुतियाँ) संलग्न	निर्धारित विच्छेदन तिथि के आधार पर बकाये की संशोधित धनराशि	अवास्तविक बकाये की धनराशि (रू0 में)	अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) मण्डल की संस्तुति	अन्य विवरण
		माह	धनराशि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	योग (कॉलम 4, 6 एवं 7)							

बिल क्लर्क लेखाकार (रा0) सहा0अभि(रा0)/अधि0अभि0(रा0) अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड

प्रारूप–2

विद्युत वितरण खण्ड .....

विद्युत वितरण मण्डल.....

विद्युत वितरण क्षेत्र.....

अप्राप्य बकाया (Irrecoverable Dues) का विवरण

क्र0सं0	उपभोक्ता का नाम तथा पता	कुल बकाया (रू0 में)	धारा–5 में इंगित धनराशि	जिलाधिकारी द्वारा धारा–5 का नोटिस वापिस करने का कारण	जिलाधिकारी द्वारा धारा–5 के वापस किये गये नोटिस पर खण्ड द्वारा की गई कार्यवाही	अपलेखन के लिए खण्ड द्वारा संस्तुति की गई धनराशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
	योग (कॉलम 4 एवं 7)						

बिल क्लर्क लेखाकार (रा0) सहा0अभि(रा0)/अधि0अभि0(रा0) अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड

Vinod_Letter

प्रारूप–3

स्थाई विच्छेदन हेतु संयुक्त समिति की आख्या

विद्युत वितरण खण्ड .....

(LMV-1, 2, 5 & 6 श्रेणी के 75 KW/ 100 अष्व शक्ति स्वीकृत भार तक)

संयुक्त समिति ने दिनांक ..... को श्री/श्रीमती.....
पुत्र/पत्नी श्री ..... ग्राम व पता .....
बुक संख्या ..... कनैक्शन संख्या ..... अकाउंट आईडी .....
उपकेन्द्र का नाम .....11 केवी पोषक का नाम .....
स्थाई विच्छेदन की तिथि निर्धारित करने हेतु साईट का निरीक्षण किया। साईट पर निम्नलिखित स्थिति पायी गई।

1. साईट पर लगे सामान का विवरण निम्नवत है :–

.....

.....

.....

2. साईट पर कोई सामान नही है .....
3. अन्य विवरण यदि कोई हो तो .....

साईट का निरीक्षण करने व पडोसियों/स्टॉफ से जानकारी करने के उपरान्त समिति उपरोक्त उपभोक्ता की स्थाई विच्छेदन की तिथि ..... निर्धारित करती है।

शहर वासियों/पार्षद/ग्राम निवासियों/ग्राम प्रधान/व अन्य कर्मचारियों द्वारा दिये गये कथन साथ में संलग्न है।

(घरेलू/वाणिज्य पंखा, बत्ती संयोजनों हेतु न्यूनतम 05 शहर वासियों/ग्राम वासियों/पड़ोसी तथा निजी नलकूप एवं लघु व मध्यम उद्योग संयोजनों हेतु न्यूनतम 03 शहर वासियों/ग्राम वासियों का कथन अनिवार्य है)

(अवर अभियंता)	(उपखण्ड अधिकारी)	(नामित अधिकारी)
33/11 के0वी0 सबस्टेशन	विद्युत वितरण उपखण्ड	पद नाम सहित
.....		

Vinod_Letter

प्रारूप–4

कार्यालय उपखंड अधिकारी
विद्युत वितरण उपखण्ड

.....

पत्रांक ...../वि0वि0उ0ख0/ दिनांक .....

विषय– स्थाई विच्छेदन रिपोर्ट (आवेदन पर ☐ बकाये पर ☐)

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
.....

उपभोक्ता के बकाये/आवेदन पर (सूची माह .....) के अनुसार स्थायी विच्छेदन रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उपभोक्ता का नाम एवं पता .....
   ..... मोबाइल नं0 .....
2. बुक संख्या ..... संयोजन सं0 ..... एकाउंट आईडी .....
3. घरेलू बत्ती पंखा/वाणिज्यिक बत्ती पंखा औद्योगिक/निजी नलकूप भार .....
4. अस्थायी विच्छेदन की दिनांक ..... स्थायी विच्छेदन की तिथि/माह
5. विच्छेदन का कारण (अनुरोध/बकाए पर) .....
6. सीलिंग प्रमाण पत्र के अनुसार वितरणः–
7. मीटर संख्या ..... मीटर की स्थिति .....मीटर पठनांक :.....
8. स्थायी विच्छेदन करने वाले अवर अभियन्ता का नाम .....
9. सामान प्राप्त करने का विवरणः– (M.B No व Page No. सहित)
   1..... 5.....
   2..... 6.....
   3..... 7.....
   4.....8.....
10. उपकेन्द्र का नामः– .....
11. पोषक का नाम .....
12. अप्रयोज्य सामग्री की लागत .....
    साइट से प्राप्त
13. सामान की लागत जो साइट से प्राप्त नहीं हुआ .....
14. विच्छेदन व्यय .....
15. लाइन आदि उखाडने का व्यय .....
16. अन्य व्यय (प्राकलन संलग्न किया जाये) .....
17. लाइन चार्ट .....
18. प्रमाण पत्र
    (i) उपरोक्त स्थायी विच्छेदन का विवरण एवं प्राकलन व्यय मेरी जानकारी के अनुसार सही है।
    (ii) उपरोक्त उपभोक्ता ने अस्थायी विच्छेदन की तिथि से विद्युत का प्रयोग नहीं किया है एव अब भी विद्युत का प्रयोग नहीं कर रहा है। यह मेरे द्वारा सत्यापित कर लिया गया है।
    (iii) उपरोक्त परिसर पर कोई भी विभागीय सामान उपलब्ध नहीं है।
    (iv) सहायक अभियन्ता (मीटर) का मीटर घोषणा प्रमाण पत्र संलग्न है।
    (v) .....